



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अपहरण कर हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 1,80,000/- रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई,,



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 473/2007 धारा- 364,302 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी द्वितीय/गैंगस्टर कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 03 अभियुक्तों 1. राजबहादुर पुत्र रामआसरे 2. प्रह्लाद पुत्र शिवनारायण 3. दिनेश पुत्र शिवदास नि0गण ग्राम सरसई थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व 1,80,000/- रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



ADGC श्री जगदीश  
अनुरागी



विवेचक  
थानाध्यक्ष श्री नयन  
सिंह



पैरोकार थाना कुरारा  
का0 रजनीश कुमार